UPMO010065142026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी- सै0 माऊज़ बिन आसिम, (एच 0 जे0 एस 0)

J.O. Code-UP 1895

द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1834/2026

वंश भटनागर आयु लगभग 21 वर्ष पुत्र संजय भटनागर, निवासी नेता कॉलोनी बृहमपुरी जयन्तीपुर लाईनपार, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मुकदमा अपराध संख्या-220/2026,
धारा-109(1),351(2),126(2), 3(5) बी.एन.एस. व 4/25/27 आयुध अधिनियम।
थाना-मझोला, जिला-मुरादाबाद।

18.06.2026

1- प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र, आवेदक/अभियुक्त वंश भटनागर की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-220/2026, अन्तर्गत धारा-109(1), 351(2), 126(2), 3(5) बी.एन.एस. व 4/25/27 आयुध अधिनियम, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2- जमानत प्रार्थनापत्र में अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि, अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है। अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना बल न दिये जाने के कारण दिनांक 19-05-2026 को निरस्त कर दिया गया था। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, वादी मुकदमा सतीश वर्मा द्वारा एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 04.03.2026 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, दिनांक 03.03.2026 की रात 12:15 बजे प्रार्थी का पुत्र यश वर्मा को मौहल्ले के कपिल, गब्बर, वंश एवं गप्पू ने घेर लिया। गप्पू ने यश वर्मा की कोली भर ली और कपिल, गब्बर एवं वंश ने धारदार हथियार से वार कर

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2026.06.18 17:12:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जान से मारने की कोशिश की, जिससे यश वर्मा को प्राणघातक एवं गम्भीर चोटे आयीं हैं। घटना के समय प्रशान्त वर्मा एवं विश्वास ने बचाने का प्रयास किया, तो उक्त लोग चाकू दिखाकर, धमकाकर भाग गये। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण कपिल, गब्बर, वंश एवं गप्पू के विरुद्ध उक्त मुकदमा धारा-191(1) बी.एन.एस. में पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना मामले में धारा-109(1), 351(2), 126(2), 3(5) बी.एन.एस. व 4/25/27 आयुध अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गयी।

4- प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि, उपरोक्त अभियोग में प्रार्थी को मिथ्या तथ्यों के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है तथा उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया, वह निर्दोष है, प्रार्थी ने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया है, जैसा कि वादी द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाया गया है, वादी मुकदमा द्वारा घटना दिनांक 03.03.2026 को समय रात्रि 12:15 बजे की दर्शायी गयी है, जबकि उक्त घटना की रिपोर्ट दिनांक 04.03.2026 को समय 16:34 बजे एक दिन व 16 घण्टे विलंब से पूर्ण विधिक मशवरे से लिखायी गयी है, जबकि घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र 08 किलोमीटर है, घटना दिनांक 03.03.2026 की भी दिखायी गयी, उपरोक्त दिन होली पूजन था, प्रार्थी होली का त्योहार होने के कारण अपने घर पर परिवार के साथ था, पुलिस द्वारा प्रार्थी को नफा-नाजायज हासिल करने की नीयत से घर से दिनांक 03.03.2026 को उठा लिया था तथा प्रार्थी को थाना मझौला में ही 03 दिन तक बिना किसी कारण बैठाकर रखा तथा प्रार्थी के घर वालों को भी प्रार्थी से मिलने नहीं दिया, तब मजबूर होकर तथा थाने से सन्तुष्ट उत्तर प्राप्त न होने पर दिनांक 07.03.2026 को प्रार्थी की माता कमलेश भटनागर ने उपरोक्त सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को आई०जी०आर०एस० नं0-40013526009205 समय 11:45 पर किया, तब थाना मझोला की पुलिस ने दिनांक 07.03.2026 को जी०डी० नं0-057 समय 14:11 बजे दर्ज कर प्रार्थी की गिरफ्तारी समय 11:05 बजे पर दर्शा दी तथा प्रार्थी पर झूठा मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया, पुलिस द्वारा प्रार्थी के पास से चाकू की फर्जी बरामदगी दर्शायी गयी है, वादी द्वारा प्रार्थी पर लगाये गये समस्त आरोप मनगढन्त व काल्पनिक तथ्यो पर आधारित हैं, जिनमें कोई सत्यता नहीं है, प्रार्थी दिनांक 07.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है, प्रार्थी सजायफ्ता मुल्जिम नहीं है। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5- विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि, अभियुक्त ने अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के पुत्र को जान से मारने की नीयत से चाकू से मारपीटकर चोटें पहुँचाईं हैं। अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद हुआ है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6- जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7- पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि, प्रार्थी/अभियुक्त तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। तहरीर में वर्णित कथनानुसार दिनांक 03.03.2026 की रात्रि 12:15 बजे वादी के पुत्र यश वर्मा को मौहल्ले के कपिल, गब्बर, वंश एवं गप्पू ने घेर लिया। गप्पू ने यश वर्मा की कोली भर ली और कपिल, गब्बर एवं वंश ने धारदार हथियार से वार कर जान से मारने की कोशिश की, जिससे यश वर्मा को प्राण घातक एवं गम्भीर चोटें आयीं हैं। घटना के समय प्रशान्त वर्मा एवं विश्वास ने बचाने का प्रयास किया, तो उक्त लोग चाकू दिखाकर, धमकाकर भाग गये। पत्रावली में संलग्न मजरूब की चिकित्सीय आख्या में उसके दांये नितंब क्षेत्र व पेट पर बांयी तरफ घुपे हुए घाव की कुल 03 चोटें आना तथा मजरूब के पेट का ऑपरेशन करके आंत का विच्छेदन किया जाना अंकित है। टी0 एम 0 यू0 अस्पताल, मुरादाबाद में मजरूब का उपचार करने वाले चिकित्सक जया कृष्णा रेड्डी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 में यह बताया है कि, दिनांक 04.03.2028 को मजरूब एमरजेंसी वार्ड में घायल अवस्था में आया था, जिसके पेट में तीन चाकू के घाव थे, एक घाव में आंत में छेद हो गया था, जिसके लिए आपरेशन करना अनिवार्य था, मजरूब की हालत गम्भीर थी। मजरूब ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 में प्रार्थी/अभियुक्त को प्रश्नगत घटना कारित करने वाले के रूप मे नामित किया है। इसके अतिरिक्त फर्द बरामदगी में प्रार्थी/अभियुक्त की निशानदेही पर प्रश्नगत घटना मे प्रयुक्त किया गया अवैध चाकू भी बरामद होना दर्शित किया गया है। मामले में बाद विवेचना विवेचक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त व सह-अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। पत्रावली पर प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का 01 अन्य मुकदमे

का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। सह–अभियुक्तगण की जमानत न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त की जा चुकी है।

8– अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है और प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त वंश भटनागर का द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र, मुकदमा अपराध संख्या-220/2026, अन्तर्गत धारा-109(1), 351(2), 126(2), 3(5) बी.एन.एस. व 4/25/27 आयुध अधिनियम, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद, निरस्त किया जाता है।

स्टेनो–राजीव कुमार।

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
सत्र न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
18.06.2026